न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 42/2022

माफी मंदिर श्री जगदीशजी वाके चिडावा जरिये सरंक्षक एवं पुस्तैनी पुजारी राजकुमार महर्षि, टाउन पोस्ट आफिस के पास, चिडावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333026, मो0न0 9653975476

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 42/2022 पर दिनांक 31.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/271–72 दिनांक 31.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/123 दिनांक 03.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी माफी मंदिर श्री जगदीश जी वाके चिडावा जरिये सरंक्षक पुजारी पुस्तैनी राजकुमार महर्षि निवासी आडन पोस्टआफिस के सामने चिडावा जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 07.12.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/485 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 203 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा नकल की फीस की टिकटें प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त की जा सकती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/123 दिनांक 03.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी माफी मंदिर श्री जगदीश जी वाके चिडावा जरिये सरंक्षक पुजारी पुस्तैनी राजकुमार महर्षि निवासी आडन पोस्टआफिस के सामने चिडावा जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 07.12.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/485 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 203 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा नकल की फीस की टिकटें प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त की जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप [illegible] द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 15:35:49 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं